RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 2025, **GCMS NO. 2025/6**

प्रार्थी–

1. श्री इन्द्राराम पुत्र गेबाराम साहुकार, निवासी करमावास, तहसील समदडी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत करमावास, तहसील समदडी, जिला बालोतरा।
2. श्री गणपतसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपुत, निवासी करमावास, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 जो अप्रार्थी संख्या 2 के के पिता गुमानसिंह के नाम ग्राम पंचायत करमावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्रीमती कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित, अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :07.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत करमावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम जारी पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत करमावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1961 के नियम 266 के तहत मौजा करमावास में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का पड़ौस बदिशा उतर में पंचायत की पड़त भूमि, बदिशा दक्षिण में पंचायत की पड़त भूमि, पूर्व में समदड़ी सिवाना रोड़ एवं पश्चिम में पंचायत की पड़त भूमि, आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत करमावास से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि मौजा करमावास के बमौहल्ला समदडी–सिवाना रोड में मेरे पिता के समय का पैतृक पुराना कब्जा सुदा भूखण्ड आया हुआ हैं, जो मौके पर 37.6 फिट गुणा 210 फिट का भूखण्ड आया हुआ हैं। जिसमें प्रार्थी व उसके भाई का रहवासीय मकान बने हुये है तथा मौके पर पक्के व कच्चे रहवासीय ओरे निगराकार के पिता के समय के बने हुये हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पिता गुमानसिंह के नाम का एक फर्जी पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 (मिसल संख्या 172) प्रस्ताव संख्या ••••• ग्राम पंचायत करमावास द्वारा तैयार करवाया गया है। उक्त आलोच्य की प्रस्वात संख्या भी खाली है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों के तहत प्रकिया नहीं अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पिता गुमानसिंह के नाम पट्टा जारी किया गया है, वो पुर्णतया कुटरचित व फर्जी है। उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई और न ही पंचायत राज नियमों की पालना की गई। उक्त तथाकथत पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कोई कब्जा स्वामित्व नहीं होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी पट्टे के आधार पर दिवानी वाद संख्या 27/2019 बअनवान गणपतसिंह बनाम ढ़ेबाराम प्रस्तुत किया गया, जिसका मौका निरक्षण भी न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें ऐसा कोई पटटे वाला मूखण्ड मौके पर मौजुद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रशनगत पटटा पंचायती राज अधिनियम के किस नियम के तहत जारी होना का कोई उल्लेख नहीं हैं तथा प्रश्नगत पटटा प्रथम दृष्टतया खुली आखों से देखने पर भी फर्जी व कुटरचित प्रतित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त पट्टा सन् 1979 में ग्राम पंचायत करमावास की आबादी भूमि ही न होकर राजस्व भूमि थी। ग्राम पंचायत करमावास द्वारा आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र भी नहीं बनाया, न हीं मौका रिपोर्ट में नाप व पडौस दर्ज किये। इस ग्राम पंचायत द्वारा एक ही समय में सारी कार्यवाही कर फर्जी पट्टा तैयार किया है। पट्टे को जारी करने से पूर्व एक माह म्यादी का नोटिस जारी करना आज्ञापक है, लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसी कोई नोटिस की चस्पागी तारीख तिथि का वर्णन नहीं है। पंचायत राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने के लिए नियमों व आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई ऐसा पट्टा अवैध व अनुचित है। उक्त आलोच्य पटटे की फोटो प्रति देखने मात्र से यह दर्शित होता है कि पटटे पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर तक नहीं हैं एंव पटटे के सभी कॉलम खाली हैं । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पत्रावली से परे जाकर मनमाने तरिके से नियम विरूद्ध तरिके से उक्त पटटा जारी कर प्रार्थी हक स्वामित्व कब्जा सुदा की सम्पुर्ण पैतृक भूमि को हडपने हेतु फर्जी पट्टा तैयार करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जब सिविल वाद प्रस्तुत किया गया तो उक्त सिविल वाद संख्या 27/2019 बनअवान गणपतसिंह बनाम ढेबाराम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके सलंग्न नजरी नक्शा पेश किया है उसमे श्री सिविल न्यायालय द्वारा मोका कमिश्नर के जरिये मौका रिपोर्ट तलब की गई जिससे भी स्पष्ट है कि विप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं होकर प्रार्थी व उसके भाई पुनाराम का पुराना पैतृक रहवास है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता गुमानसिंह के नाम का उक्त प्रश्नगत पटटा की पुस्त पर अंकित नक्शा व कमिश्नर रिपोर्ट के नक्शे से किसी भी प्रकार से मेल नहीं खा रहे है। कार्यायल विकास अधिकारी से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी उक्त भूखण्ड खाली बताया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत करमावास द्वारा अप्रार्थी के पिता के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 पूर्णतया विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। उक्त आलोच्य पट्टा लगभग 46 साल पूर्व में जारी किया गया है। इस हेतु उक्त पट्टे के पड़ोस व स्थिति में अंतर आना निश्चित है। इस आधार पर आलोच्य पट्टा खारीज नहीं किया जा सकत है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया, लेकिन स्वयं ग्राम पंचायत करमावास के द्वारा पत्र के जरिये श्रीमान को अवगत करवाया गया कि प्राकृतिक कारणों (बाढ) की वजह से उक्त पटटे संबंधित मिसल ग्राम पंचायत में मौजुद नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। इसके अलावा अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त आलोच्य पट्टा कुटरचित एव फर्जी जारी किया गया हैं, लेकिन इस संबंध में प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही प्रश्नगत पट्टा फर्जी होने पर किसी भी पंचायत राज संस्था के द्वारा उपरोक्त पटटे को अपनी जांच में फर्जी करार दिया हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये है, जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे विधि अनुसार पट्टा जारी किया हैं तथा इसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी किया हैं, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हैं। बाढ़ के कारण ग्राम पंचायत का रेकर्ड नष्ट हो गया, जिससे अप्रार्थी के पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता हैं कि पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली कायम नहीं की हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा रहा है। इस सबंध में जहां भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, तो स्वामित्व तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का का है। इसके लिए स्वामिव्त तय करने के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। निगरानी के माध्यम सें भूमि पर स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह भी प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजुद रहा हो, तो इस बारे में प्रार्थी द्वारा दस्तावज पेश नहीं किया गया। साथ ही कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जहां पर म्याद प्राविधित नहीं हो वहां पर रिजनेबल पिरियड 03 वर्ष समझा जायेंगा, इसके अतिरिक्त लिमिटेशन एक्ट शेडयूल 137 में भी जहां पर म्याद नहीं प्रारम्भिक हो, वहां 03 वर्ष की अवधि रिजनेबल पिरियड माना गया है। इस प्रकरण मे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे मे लगभग 46 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी हैं। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से पृथक से कोई धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना

जिला कलक्टर
बालोतरा

पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं। उपरोक्त निगरानी विलम्ब से पेश किये जाने के कारण पोषणीय नहीं होने से प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अलावा प्रार्थी मध्य उक्त आलोच्य भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायालय में मुकदमा संख्या 27/2019 बअनवान गणपतसिंह बनाम ढेबाराम के नाम दर्ज हुआ था, जबकि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी वर्ष 2025 में पेश की गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को पूर्व में जानकारी होने के बावजूद भी निगरानी वर्षो बाद पेश की गई है, जो म्याद बाहर होना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार बाहर पेश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बाहर एवं म्याद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1979 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख संख्या 205 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत करमावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है एवं उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं करते हुए पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है, उक्त तथाकथित पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं स्वामित्व है। इस सबंध में जहां भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, तो स्वामित्व तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। इसके लिए स्वामित्व तय करने के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। निगरानी के माध्यम से भूमि पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टे की प्रकिया/वैद्यता को देखा जाना है, न कि किसी का स्वामित्व तय करना। इस संबंध में उक्त आलोच्य पटटा के संबंध में ग्राम पंचायत को मूल अभिलेख तलब करने पर स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा पत्र के जरिये अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पटटे संबंधित मिसल ग्राम पंचायत करमावास में मौजुद नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता। यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा न्यायालय द्वारा आलौच्य अंतिम निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। यद्यपि रिकॉर्ड पर पट्टे संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं है, फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उक्त 1979 में जारी किये गये आलोच्य पट्टे को फर्जी करार दिया जा सके। अलावा इसके उक्त पक्षकारान के मध्य उक्त आलोच्य भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायालय में मुकदमा संख्या 27/2019 बअनवान गणपपसिंह बनाम ढेबाराम व अन्य दर्ज होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी वर्ष 2025 में पेश की गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को जानकारी होने के बावजूद भी निगरानी वर्षो बाद पेश की गई है, जो म्याद बाहर होना प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "निगरानी अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नहीं है, किन्तु असाधारण विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती है।" हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा वर्ष 1979 में जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध 2025 में अर्थात 46 वर्ष पश्चात (वर्ष 2019 में जानकारी होने के बाद 6 वर्ष बाद) यह निगरानी अत्यंत ही विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसका प्रार्थी द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपना हक–अधिकार होना मानता हैं, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए, इसके लिए प्रार्थी स्वतंत्र है। साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं, जिसमे पक्षकारों के कब्जे एवं स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 205 दिनांक 20.04.1979 को बहाल रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सशील कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बालोतरा